

अपील सूचना अधिकार संख्या 53/2019 (RCMS 2019/00154) राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक श्रीगंगानगर बनाम प्रधानाध्यापक पी.टी.एस., गजसिंहपुर, श्रीगंगानगर

26.08.2019



पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुए। उसे सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसने प्रधानाध्यापक, पी.टी.एस., गजसिंहपुर से अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 10.06.2019 से 15 बिन्दुओं पर सूचना चाही थी। प्रधानाध्यापक, पी.टी.एस., गजसिंहपुर ने उसे बिन्दुवार सूचनाएं नहीं दी है जबकि 30 दिवस के अन्तर्गत उसे सूचना उपलब्ध करवाना जाना आवश्यक था। इसलिए उसकी अपील स्वीकार की जाकर वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की एवं सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत धारा 20(1) व (2) के अन्तर्गत 25000/- शास्ति अधिरोपित करने की कृपा करें एवं उचित हर्जाना दिलवाया जावे।

मैंने प्रार्थी उक्त तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 10.06.2019 (P.O. No. 41F/576470) के द्वारा कुल 15 बिन्दुओं की सूचना चाही थी जो उसे लोक सूचना अधिकारी एवं प्रधानाध्यापक, पी.टी.एस., गजसिंहपुर द्वारा बिन्दुवार सूचना उपलब्ध न करवाने के कारण यह अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा अपने सूचना के अधिकार प्रार्थना पत्र में निम्न सूचनाएं चाही थी :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रधानाध्यापिका, पी.टी.एस., गजसिंहपुर वर्तमान पदस्थापित तहसीलदार (निर्वाचन), श्रीगंगानगर श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई द्वारा जांच का जवाब के साथ प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 96 दिनांक 23.01.2019 के सम्बन्ध में सूचना यह पत्रांक सहायक निदेशक, लोक सेवाएं कलेक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को लिखा गया है :

1. उपरोक्त पत्रांक श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई द्वारा जिस माध्यम स्रोत व विभाग से प्राप्त किया गया है, उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।
2. उक्त पत्र प्राप्त करने से जिस विभाग में जो राशि जमा करवाई गई है, उसकी सूचना व राशि जमा करवाई की रसीद की प्रमाणित प्रति।
3. उपरोक्त जांच रिपोर्ट के जिस बिन्दु से सम्बन्धित है, उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
4. उक्त दस्तावेज जिस कर्मचारी व अधिकारी से प्राप्त किया है, उस कर्मचारी का नाम व पद की सूचना व पत्र प्राप्त करने की सूचना।
5. उपरोक्त पत्रांक 96 दिनांक 23.01.2019 जिस अधिकारी द्वारा लिखा गया है, उसका नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।
6. पत्रांक 96 दिनांक 23.01.2019 में विषय में श्रीमान् जिला कलेक्टर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में लिखे गये जवाब में विषय के पत्रांक की प्रमाणित प्रति व सूचना।
7. इस पत्रांक 96 दिनांक 23.01.2019 में सदर्थ में वर्णित पत्रांक लोस सेवा/2019/102 दिनांक 11.01.2019 की प्रमाणित प्रति व सूचना।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

8. उपरोक्त पत्र के पैरा संख्या एक की छठी लाईन में अंकित पत्रांक 2005 दिनांक 27.08.2018 की सूचना व प्रमाणित प्रति।

9. इसी पत्रांक 96 दिनांक 23.01.2019 के पैरा संख्या 2 की छठी लाईन अंकित तथा "निरस्त वसीयत की मूल प्रति पर श्रीमती गंगा देवी पत्नी भगवाना दास द्वारा अंगूठा निशान किये गये है (मूल प्रति संलग्न है)

कृपया मूल प्रति की विभाग से प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाने की सूचना व प्रमाणित प्रति।

10. इस पत्रांक 96 दिनांक 23.01.2019 की 7वीं लाईन में यह तथ्य अंकित है कि "कार्यालय प्रति पर लिपीकीय भूल हो जाने के कारण सहवन से गंगा देवी के स्थान पर प्रस्तुत मोहर पर मोनिका देवी का नाम अंकित हो गया है।"

लिपीकीय भूल शब्द किस आधारपर किस अधिकारी द्वारा जिस नियम के अन्तर्गत लिखा गया है उस अधिकारी, नियम व आधार की सूचना व प्रमाणित प्रति।

11. उपरोक्त पत्रांक के पैरा सं. 3 की चौथी लाईन में यह तथ्य अंकित है कि "केवल भूलवश नाह होने के कारण गंगा देवी की जगह शिनाख्तकर्ता मोनिका देवी का नाम लिखा।"

भूलवश शब्द किस आधार पर जांच रिपोर्ट पर जिस नियम के आधार पर लिखा है, उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।

12. उप पंजीयक कार्यालय में उपलब्ध पाई पेपर पर वसीयती निरस्तीकरण निष्पादित दस्तावेज पर प्रस्तुतीकरण में अंगूठा निशानी गंगा देवी की है, इस बाबत प्रमाणित सूचना व दस्तावेज की प्रमाणित प्रति।

13. इसी पत्रांक के तीसरे पैरा की ग्यारहवी लाईन में अंकित तथ्य कि "प्रार्थी स्वभाव से से शिकायत करने सूचना मांगने का आदि है"

सूचना मांगना शिकायत करने आदि, सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 की जिस धारा में यह तथ्य अंकित है कि सूचना मांगना शिकायत करने की परिभाषा में आता है, उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।

14. इसी पत्रांक के पृष्ठ 2 में अंकित तथ्य कि "श्रीमती गंगा देवी उप पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत हुई"

कृपया दिनांक 11.04.2000 को वसीयती निरस्तीकरण गंगादेवी के प्रस्तुतीकरण के दस्तावेज की सूचना व प्रमाणित प्रति।

15. शिकायतकर्ता द्वारा पूर्व में भी उच्चाधिकारियों व राजस्थान सम्पर्क सूचना में भी शिकायत दर्ज कराई, जिसका सभी स्तरों पर निस्तारण किया जा चुका है।

जिस सभी शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है, उनकी सूचना व निस्तारण की प्रमाणित प्रति।

उक्त सूचनाओं के सम्बन्ध में प्रधानाध्यापक, पटवार प्रशिक्षण केन्द्र, गजसिंहपुर ने अपने पत्रांक 317-18 दिनांक 12.07.19 से अपीलार्थी को निम्न प्रकार से उत्तर दिया गया है :

जिला ~~डिप्टी~~ लेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सम्बन्ध में आप द्वारा चाही गई सूचना बिन्दुवार निम्नानुसार है :

क्रमांक	बिन्दु	सूचना का जवाब
1	1,2,4, 13,14, 15	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात् सूचना वही देय है जो अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप से नहीं होनी चाहिए, सूचना के रूप में प्रत्यार्थी न तो कोई सूचना बना सकते हैं और न ही स्वयं का मत दे सकते हैं, लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसकी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है, सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना, लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने के आदेश/निर्देश नहीं दिये जा सकते, सूचना के अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में प्रदान किया जा सकता है। बिन्दु संख्या 1,2,4,5,13,14 एवं 15 में संदर्भित क्रमांक का पत्र इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
2	3,5,6,7, 8,9,10, 11,12	बिन्दु संख्या 3 इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।

-sd-

प्रधानाध्यापक
पटवार प्रशिक्षण केन्द्र
गजसिंहपुर

इसके अतिरिक्त प्रधानाध्यापक पटवार प्रशिक्षण केन्द्र, गजसिंहपुर ने उक्त अपील के सम्बन्ध में अपने पत्रांक 380 दिनांक 16.08.2019 में निवेदन किया है कि :

इस कार्यालय में इससे सम्बन्धित कोई अभिलेख/दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण संलग्न कर संभव नहीं है। श्रीमान्जी प्रधानाध्यापक, पटवार प्रशिक्षण शाला, गजसिंहपुर का अपील अधिकारी निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर है। (आदेश की प्रति संलग्न है।) अतः अपील को निरस्त करने का कष्ट करें।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का सम्बन्ध पटवार प्रशिक्षण केन्द्र, गजसिंहपुर से है और लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत पटवार प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में निम्न हस्ताक्षरकर्ता अधिकृत नहीं है बल्कि इस हेतु राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर के पत्रांक प. 1(78)राअप्रसं/स्था./08 दिनांक 03.01.2006 तहत प्रथम अपील अधिकारी के रूप में निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर अधिकृत है। इसलिए निम्न हस्ताक्षरकर्ता को प्रथम अपील की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं है

चूंकि इस न्यायालय को उक्त अपील को प्रथम अपील अधिकारी के रूप में सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील खारिज की जाती है कि प्रार्थी चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में सक्षम प्रथम अपीलीय न्यायालय में नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं प्रधानाध्याक, पटवार प्रशिक्षण केन्द्र, गजसिंहपुर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक मील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)

जिल्हा कलैक्टर
श्रीगंगानगर